संख्याः शिक्षा–एच0;ई0ई0 (4) 4–17 / 2017–18 Instructions
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश ।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि0प्र0)
07 OCT 2017
शिमला - 1

दिनांक शिमला–171001 अक्तूबर , 2017

सेवा में

1. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

विषयः मध्याहन भोजन योजना के बारे दिशा –निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त बिषय पर विभाग के ध्यान में आया है कि जब–2 प्रदेश में प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा 1–8) के छात्र – छात्राएं खण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेनें हेतु प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, तो उस अवस्था में अध्यापकों द्वारा उनकी पैतृक पाठशाला में मध्याहन भोजन हेतु उपस्थिति पंजिका में ऐसे छात्र–छात्राओं की उपस्थिति अंकित की जाती है । इसके साथ–2 विभाग के ध्यान में यह भी आया है, कि जब–2 प्रदेश में प्रारम्भिक पाठशालाओं के छात्र – छात्रायें बार्षिक परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त पाठशालाओं में नहीं आते तो उस अवस्था में भी पाठशाला अध्यापकों द्वारा मध्याहन भोजन हेतू उनकी उपस्थिति, पंजिका में अंकित की जाती है । जो कि उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में एक कानूनन अपराध है । इस संदर्भ में आपको अवगत किया जाता है कि पाठशाला स्तर पर की जाने वाली इस तरह की अनियमिताओं के चलते एक प्रार्थी श्री विजय सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायलय हिमाचल प्रदेश में एक याचिका CWP No. 10234/2011 दायर की गई है, जिस पर माननीय उच्च न्यायलय द्वारा कड़ा संज्ञान लिया है तथा विभाग को इस संदर्भ में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, जिसके कारण विभाग की छवि खराब हुई है ।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थियों के मध्यनजर आप सभी पाठशालाओं को यह दिशा निर्देश जारी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि जब प्रारम्भिक पाठशालाओं से छात्र – छात्रायें खण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं अन्य प्रतियोगिताओं हेतू एक पाठशाला से दूसरी पाठशाला अथवा प्रदेश से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता हैं, तथा जब पाठशालाओं में वार्षिक परिक्षाओं की समाप्ति के उपरान्त छात्र –छात्रायें पाठशाला में उपस्थित नहीं होते तो इन सभी अवस्थाओं में उन बच्चों की पाठशाला पंजिका में मध्याहन भोजन हेतु उपस्थिति न अंकित की जाए बल्कि सारांश में यह Remarks दिया जाए कि सम्बन्धित छात्र–छात्रा को पाठशाला से खेल कूद प्रतियोगिता अथवा अन्य प्रतियोगिता हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है । जो अध्यापक या पाठशालाओं के कर्मचारी उक्त प्रकार की गैर कानूनी अनियमितताओं हेतू दोषी पाये जाएगे तो ऐसे अध्यापकों एवं कर्मचारियों के विरूद्व विभाग द्वारा नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

(मनमोहन शर्मा)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
eleedu-hp@gov.in
0177-2812464

Endst No. EDN-U (G-1) MDM /- 18564 Dated 30/10/2017

Office of the Deputy Director of Higher Education Una District Una (HP)

Copy to:-

1. The Directorate of Higher Education HP Shimla for information please.
2. All the Principal/ Headmasters GSSS/GHS in Una District for information and strict compliance.

Deputy Director of Higher Education
Una District Una (HP)